


फर्द अहकामे

प्रकरण सं० ५५/२०१

दीरा

बनाम श्री

रतन

<p>जयल जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुक्त व में ज</p>	<p>हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व त अहकाम ज हुक्त की त में जारी</p>
<p>Handwritten notes on the left margin, including '19125' and other illegible text.</p>	<p>Handwritten notes in the middle column, including '19125' and other illegible text.</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को विधिवतरूप से रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।</p> <p>अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>  <b>सुपखण्ड अधिकारी</b>  <b>भरगढ़, जिला-भीलवाड़ा</b></p>	<p>Handwritten notes in the right margin, including '19125' and other illegible text.</p>